कार्यालय
ग्राम पंचायत द्वारा
तहसील–देहरादून, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल / समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम द्वारा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल / समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि) वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......
वि0ख0–रायपुर, देहरादून

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत–
दि0 27/9/14
वि0ख0 रायपुर देहरादून (यू0के0)

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	रामजी शरण शर्मा	उपजिलाधिकारी देहरादून	[signature]
2	के०पी० कलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून	[signature]
3	[illegible]	[illegible]	[signature] मसूरी वन प्रभाग
4	तोता राम	क्षेत्र पंचायत सदस्य	[signature] क्षेत्र पंचायत सदस्य रायपुर II तोताराम (राहुल) ह0........ दि0........ वि0 ख0 रायपुर देहरादून (उ0ख0)

Photocopy Attested

[signature]

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, रायपुर, देहरादून

उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग निर्माण हेतु (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून), रायपुर की बैठक दिनांक 27-11-15 का कार्यवाही विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मोहन सिंह बर्निया उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मोहन सिंह बर्निया उपजिलाधिकारी, देहरादून– अध्यक्ष
2– श्री देवी प्रसाद बलोनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी–सदस्य
3– श्री बी0डी0 राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रायपुर–सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible], बी0डी0सी0 क्षेत्र – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग निर्माण हेतु (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग निर्माण हेतु (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि)वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देहरादून, उपखण्ड रायपुर,
देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देहरादून, उपखण्ड रायपुर,
देहरादून

Annexure-II

FORM-I

(For Project other than linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

****

No...Camp/Dehradun Dated..21-12-16.....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 3.0100 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Soda Dwara to chameli chowk Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Dwara, Soda Dwara village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 3.0100 **hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Dwara Soda Dwara village.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agriculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature District Magistrate Dehradun.

(Full name and offial seal of the District collector)

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

(चन्द्रेश कुमार)
भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, देहरादून

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No. Comp.) Dehradun   Dated 21-12-14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 3.0100 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Soda Dwara to chameli chowk Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Dwara, soda Dwara village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 3.0100 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3.(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
c. the proposal does not invole recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offial seal of the District collector)

District Magistrate
Dehradun.
(चन्द्रेश कुमार)
भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, देहरादून

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandresh Kumar I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date 15.12.2014 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in village Soda Dwara To Chameli Chowk motor road area measuring 3.010 hect. For the construction of in village Soda Dwara To Chameli Chowk motor road (5.600 KM.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Raipur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 15.12.2014

Deputy Commissioner-cum-chairman

(चन्द्रेश कुमार)
भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, देहरादून

District Level Committee

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

26E

1.	सुरत सिंह नेगी		[illegible]
2.	कवर सिंह		[illegible]
3.	विमल नौटियाल		[illegible]
4	भरत सिंह पंवार	वार्ड सदस्य	Bharat singh
5	गजेन्द्र सिंह राणा		[illegible]
6	लक्ष्मण सिंह		L Singh
7	जगदीश पंवार	(उपप्रधान)	जगदीश
8.	[illegible]	वार्ड सदस्य	सरोज
9.	विनोद	वार्ड सदस्य	
10	सरोज	वार्ड सदस्य	

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश